भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश

ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क0

PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा/2018/1779

श्री ... द्वारा आज दि0 14/3/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 14-3-18

अजीज मोहम्मद पिता सुभान , जाति मुसलमान

निवासी ग्राम जाट, तह. सिंगोली, जिला नीमच (म0प्र0) ——————— आवेदक

विरूद्ध

1 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा राजस्व

2 रामेश्वरदास, श्यामदास, भगवतीदास पिता गिरधारीदास बैरागी

निवासी दौलतपुरा, तह. सिंगोली, जि0 नीमच (म0प्र0) ———————अनावेदकगण

<u>//निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–50, म0प्र0भू–राजस्व संहिता //</u>

विरुद्ध आदेश कलेक्टर नीमच प्र.क्र.-112/अ21/16-17 आदेश दिनांक - 30/8/17 को पारित

श्रीमान महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है–

1. यह कि आवेदक ने एक आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय नीमच, जिला–नीमच म0प्र0 के म0प्र0भू–राजस्व संहिता की धारा 165(7)(ख) के अंतर्गत आवेदक की शासकीय पट्टे से भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि मौजा ग्राम जाट की सर्वे नं. 898/12, रकबा 1 हे., को बाजारू मूल्य पर बय की अनुमति प्राप्त करने हेतु अनावेदक कं. 2 को बय अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जो प्रकरण कं. 112/अ 21/2016–17 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 30/08/17 को आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश की जानकारी आवेदक को प्राप्त होते ही प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11/1/2018 को प्रस्तुत किया प्रतिलिपि दिनांक 16/1/2018 को प्राप्त हुई जानकारी के अभाव में व्यतीत समयावधि को अवधि की छूट के साथ यह निगरानी आवेदन पत्र बगैर विलंब के श्रीमान के समक्ष निगरानी के उक्त आधार पर प्रस्तुत है ।

निरंतर पेज 2.

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति......
पृष्ठ क्र....... 6/3/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा./2018/1779

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-2018	आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक के अभिभाषक द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि उन्हें सक्षम न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष उपचार प्राप्त है । अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाता है । यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	